



राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(9)गृह-1/2018 (7793) पार्ट जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक  
आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2015-16 की दिनांक 10.11.2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री खान मोहम्मद/सिकन्दर खॉ के विरुद्ध एसीबी प्रकरण संख्या 04/13 दर्ज होकर मा0 न्यायालय में चालान पेश होने एवं मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति पर विचार किया जाकर पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया है।

श्री खान मोहम्मद/सिकन्दर खॉ के विरुद्ध विचाराधीन उक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर ने दिनांक 30.07.2024 को निर्णय पारित कर आरोपित सभी अपराध के लिए संदेह के लाभ में दोषमुक्त किया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2015-16 की दिनांक 10.11.2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री खान मोहम्मद की पदोन्नति की सील्ड कवर अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री खान मोहम्मद/सिकन्दर खॉ को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2015-16 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री सुभाष चन्द/बन्शीधर (सामान्य) के नीचे एवं श्री रजनीश कुमार/सत्यनारायण (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री खान मोहम्मद, आरपीएस अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री मोहम्मद, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस